संप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 11 फाल्गुन, 1943 (श०)
02 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	ग्रामीण कार्य विभाग	.. ..	02
(2)	ग्रामीण विकास विभाग	.. ..	02
(3)	पथ निर्माण विभाग	.. ..	01
(4)	पंचायती राज विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	06

सड़क की मरम्मती

9. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "तय समय में नहीं हो पा रही ग्रामीण सड़कों की मरम्मती" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की मरम्मती बिहार लोक शिकायत अधिनियम के तहत शिकायत मिलने पर 60 कार्य दिवस में करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत कुल 419 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 60 कार्य दिवस बीत जाने के बावजूद 302 शिकायतों का निपटारा नहीं हो सका यथा मुजफ्फरपुर जिला में प्राप्त 10 शिकायत में 10 का, मधुबनी में 78 शिकायत में से 52 का, समस्तीपुर में 21 शिकायत में से 17 का, सुपौल में 12 शिकायत में से 12 शिकायत का निपटारा नहीं हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो तय सीमा के अंदर उक्त जिलों के सड़कों की मरम्मती नहीं करने का क्या औचित्य है ?

सड़क का निर्माण

10. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "जमीन अधिग्रहण के फेर में आगे नहीं बढ़ पा रही भारतमाला श्रृंखला की कई सड़कें" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतमाला श्रृंखला के तहत राज्य की स्वीकृत कई सड़कें के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण एवं मुआवजा का भुगतान लक्ष्य से काफी कम है जिसके चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, साथ ही गया के आमस से दरभंगा के लिये जाने वाली सड़क को पटना जिला के अधीन 89.63 के विरुद्ध मात्र 90 हेक्टेयर, वैशाली जिला में 204.63 के विरुद्ध 9.30 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो पाया है, साथ ही जहानाबाद, समस्तीपुर आदि जिलों में भी लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम अधिग्रहण हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त सड़कों के निर्माण हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि आमस-दरभंगा परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है । मात्र मुआवजा वितरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे तेजी से पूर्ण किया जा रहा है ।

भारतमाला श्रृंखला के तहत राज्य में गलगलिया-अररिया (NH 327E) 4 लेन परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ।

इस परियोजना अन्तर्गत उमगाँव-बासोपट्टी-बेनीपट्टी-रहिका-मधुबनी-भेजा-सुपौल-मेहसी-सहरसा (NH 227 L, NH 227J, NH 527A) पथ एवं आमस-दरभंगा (NH 119 D) पथ के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । दोनों परियोजनाओं में भू-अर्जन के पश्चात् मुआवजा वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है एवं निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य आवंटित कर दोनों परियोजनाओं में शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत रामजानकी मार्ग (NH 227A), पटना-आरा-सासाराम (NH 119 A), किशनगंज-बहादुरगंज, अदलवारी-मानिकपुर, साहेबगंज-अरेराज-बेतिया (NH 139W) एवं चोरमा-बैरगनिया (NH 227F) पथ में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है एवं निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ करने का लक्ष्य है ।

कार्रवाई करना

11. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक 'ठेकेदारों ने जी0एस0टी0 जमा करने में की करोड़ों रुपये की हेराफेरी'' के आलोक क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 18 सौ से अधिक संवेदकों से कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 (वस्तु एवं सेवाकर) की कटौती किये बिना ही विपत्रों का सम्पूर्ण भुगतान कर दिये जाने से सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व की क्षति हुई है, यदि हाँ, तो सरकार जी0एस0टी0 की वसूली एवं दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वनक्षेत्र घटना

12. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जल-जीवन-हरियाली योजना, 2019-20 से चलाई जा रही है किन्तु इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे, 2021 के प्रतिवेदन में अररिया, भोजपुर, कैमूर, रोहतास सहित कुल 9 जिलों में लगातार वनक्षेत्र घट रहे हैं, जबकि वन क्षेत्र घटने के भू-जल में गिरावट, अनियमित बारिश, तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि सहित अनेक दुष्प्रभाव है, यदि हाँ, तो विभिन्न तरह के सरकारी योजनाओं के बावजूद वनक्षेत्र घटने का क्या औचित्य है ?

उपस्थिति बिवरणी लागू करने के लिये

13. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 8067 पंचायतों में पंचायत स्तरीय कर्मी के रूप में आवास सहायक, लेखापाल, कार्यपालक सहायक, पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, रोजगार सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार सहित अन्य कर्मी कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत स्तरीय कर्मियों को मुखिया, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को प्रखंड प्रमुख एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी को अध्यक्ष, जिला परिषद् से उपस्थिति विवरणी प्राप्त होने उपरान्त वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला सहित राज्य के सभी 38 जिलों में किसी स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं में यह व्यवस्था लागू नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंचायती राज अधिनियम में अंकित प्रावधान के अनुरूप राज्य के तीनों पंचायती राज संस्थाओं में उक्त व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य के 8067 पंचायतों में पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत स्तरीय कर्मी के रूप में एक-एक कार्यपालक सहायक एवं पंचायत सचिव कार्यरत हैं । साथ ही प्रत्येक चार पंचायत पर एक लेखापाल-सह-आई0 टी0 सहायक संविदा के आधार पर नियोजित है । आवास सहायक, हल्का कर्मचारी, रोजगार सेवक, विकास मित्र एवं किसान सलाहकार क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मी है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक । बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 के नियम 9(5) में मुखिया द्वारा दिये गये अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर पंचायत सचिव (पंचायत सेवक) का वेतन भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

प्रखंड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक एवं लेखापाल-सह-आई0टी0सहायक का अनुपस्थिति विवरणी प्रेषित किये जाने के लिये विभागीय पत्र संख्या 6010, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है । पंचायत समिति में पंचायती राज विभाग के कर्मियों के लिये पद स्वीकृत नहीं है ।

बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् (सेवा शर्त) नियमावली, 1964 के अनुसार जिला परिषद् के कर्मी संबंधित जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

(3) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

(4) वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका (1), (2) एवं (3) में स्पष्ट कर दी गयी है ।

मनरेगा में काम नहीं मिलना

14. डॉ0 रामानुज प्रसाद(क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''मनरेगा में माँगने पर भी काम न पाने वाले गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा'' के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 (जनवरी, 2022 तक) में मनरेगा में बिहार के 52.35 लाख लोगों ने काम माँगा, जिसमें 13.41 लाख लोगों को काम नहीं मिला, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) केन्द्र प्रायोजित एक माँग आधारित स्क्रीम है । इसके अन्तर्गत निबंधित अकुशल श्रमिकों द्वारा काम की माँग किये जाने पर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाता है ।

बिहार राज्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक मनरेगाधीन कुल 59.17 लाख लोगों के द्वारा कार्य की माँग की गयी, जिसके विरुद्ध कुल 59.05 लाख लोगों को कार्य करने का अवसर दिया गया। यह आँकड़ा कुल माँग का 99.80 प्रतिशत है तथा राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 99.07 प्रतिशत है ।

मनरेगाधीन जिन लोगों को कार्य आवंटित किया गया है उनमें से कुल 43.25 लाख लोग कार्य स्थल पर उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा कार्य करते हुये अबतक 13.95 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है ।

इस प्रकार काम के लिये इच्छुक अकुशल मजदूरों को उनके माँग पर उन्हें काम उपलब्ध कराया गया है ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 2 मार्च, 2022 (ई0) ।

बि0स0मु0, 84(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022